पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – dradmin@prsu.ac.in

क्रमांक /2487/सा.प्रशा./सूचना/एफ–01/2022 **रायपुर, दिनांक 23/06/2022**

प्रति,

अध्यक्ष, समस्त विभागाध्यक्ष/संचालक/
प्रभारी अधिकारी एवं कार्यालय प्रमुख
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विशयः– **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 के पालन तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग तथा नॉन वूवन कैरी बैग एवं खानपान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध अनिवार्य रूप से पालन किये जाने संबंध में।**

संदर्भः–
01) कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर का पत्र क्रमांक फ/स्वभामि.नपानि/2022–23 रायपुर दिनांक 16.05.2022
02) आवास एवं पर्यावरण विभाग छ.ग.शासन द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 27.09.2017
03) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत छ.ग. शासन द्वारा जारी उप–विधियां 2018 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 18 जनवरी 2019

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रानुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 के पालन तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग तथा नॉन वूवन कैरी बैग एवं खानपान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है।

सन्दर्भित पत्र क्रमांक–02 में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी राजपत्र अनुसार छ.ग. राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स, अल्प जीवन पीवीसी एवं क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक से बनी विज्ञापन एवं प्रचार सामाग्री (पीवीसी के बैनर, फ्लेक्स, होर्डिग्स, फोम बोर्ड आदि) तथा खान–पान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (जैसे–कप, ग्लास, बाउल, प्लेट एवं चम्मच) का, तत्काल प्रभाव से विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय परिवहन एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। तथा सन्दर्भित पत्र क्रमांक–03 अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 के तहत् जुर्माना का भी प्रावधान है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में एवं विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययनशालाओं/विभागों में प्लास्टिक कैरी बैग तथा नॉन वूवन कैरी बैग एवं खानपान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर अनिवार्य रूप से कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रतिबंधित वस्तुओं के उपयोग से होने वाले जुर्माना से बचा जा सके। साथ ही अपने अध्ययनशाला/विभाग में इसके प्रतिबंधित होने के संबंध में **"सार्वजनिक सूचना"** भी चस्पा करावें।

<u>**संलग्न–उपरोक्तानुसार।**</u>

आदेशानुसार
22/6/22
कुलसचिव

पृ. क्रमांक /2488/सा.प्रशा./सूचना/एफ–01/2022 **रायपुर, दिनांक 23/06/2022**

प्रतिलिपिः–

01. विश्वविद्यालय परिसर स्थित आवास में निवासरत् शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ,
02. प्रभारी यंत्री, यांत्रिकी विभाग को सूचनार्थ,
03. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ,
04. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (प्रशा.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर निगम मुख्यालय, गांधी मैदान के पास, रायपुर (छ.ग.)

फोन.नं- 0771-2535780, 90, फैक्स : 0771-2227395; ई-मेल :- sbmrmc2017@gmail.com

क्रमांक 8 / स्वभामि. / नपानि / 2022-23 रायपुर, दिनांक 16/04/2022

प्रति,

प्रिंसिपल ...
...
रायपुर

विषय :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के पालन तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग तथा नॉन वूवन कैरी बैग एवं खानपान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध अनिवार्य रूप से पालन किये जाने के संबंध में।

संदर्भः- 01. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत छ.ग. शासन द्वारा जारी उप-विधियां 2018 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 18 जनवरी 2019।

02. आवास एवं पर्यावरण विभाग छ.ग.शासन द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 27.09.2017।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत आपके संस्थान से निकलने वाले गीला, सूखा एवं हर्जाडस अपशिष्ट को अलग-अलग कर अपशिष्ट संग्रहण वाहन को दिया जाना सुनिश्चित करें। अपालन की स्थिति में संदर्भ क्र 01 राजपत्र में निम्नानुसार जुर्माना का प्रावधान है-

स. क्र	अपराध	जुर्माना (रू. में) प्रथम अपराध के लिये	जुर्माना (रू.में) पश्चातवर्ती तथा / या पुनरावर्ती अपराध के लिये
	आवास कल्याण और बाजार संघ द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर उत्पन्नकर्ता द्वारा पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण को सुविधापूर्ण बनाने तथा पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहण एजेंसी अथवा पुनर्चक्रकों को प्रदान करने को सुनिश्चित करने में विफलता।	रू. 3000.00	रू. 4500.00
02.	5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदायों और संस्थानों द्वारा उत्पन्नकर्ताओं द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक्कृत करने या पृथक्करण किये गये अपशिष्ट को अलग पात्रों में संग्रहण करने में विफलता।	रू. 20000.00	रू. 30000.00

03.	होटल और रेस्टोरेंट द्वारा पृथक्कृत अपशिष्ट को अलग पात्रों में संग्रहित करने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में विहित अनुसार अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करने में विफलता।	रू. 2000.00	रू. 3000.00

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी संदर्भ क्र–02 राजपत्र अनुसार छ.ग. राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स, अल्प जीवन पीवीसी एवं क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक से बनी विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री (पीवीसी के बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, फोम बोर्ड आदि) तथा खान–पान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (जैसै कप, ग्लास, बाउल, प्लेट एवं चम्मच) का, तत्काल प्रभाव से विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। अतः आपके परिसर में उपरोक्त का उपयोग प्रतिबंधित करे साथ ही साथ इसके प्रतिबंधित होने के संबंध में अपने परिसर में सार्वजनिक सूचना भी चस्पा करें।

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग तथा नॉन वूवन कैरी बैग एवं खानपान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग करते पाये जाने पर एवं ठोस अपशिष्ट नियम 2016 का पालन नही करने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के किये जाने वाले दण्डात्मक कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक /स्वभामि./नपानि/2022–23 रायपुर, दिनांक /04/2022

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ।
02. समस्त जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 01 से 10, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ।
03. समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी, जोन क्रमांक 01 से 10 को सूचनार्थ एवं नियमित निरीक्षण कर अपालन की स्थिति में कार्यवाही किए जाने हेतु।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर (छ.ग.)